**एक विवाह के बातिलीकरण के लिए याचिका**

जिला न्यायालय ...............................

वाद सं................... सन .........................

**अबक**  ...............याची

बनाम

**कखग**  ..............प्रत्यर्थी

**हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का सं0 25) की धारा 12 के अधीन एक विवाह के बातिलीकरण के लिए याचिका।**

1. एक विवाह पक्षकारों के बीच ................ में तारीख .................. को अनुष्ठापित किया गया। सम्यकरूपेण अनुप्रमाणित किया गया हिन्दू विवाह रजिस्टर/एक शपथपत्र से एक प्रमाणित प्रोद्धरण इसके साथ दाखिल की जाती है।
2. विवाह के समय पूर्व तथा याचिका को दाखिल करने के समय पर विवाह के पक्षकारों की हैसियत एवम् निवास स्थान निम्नलिखित रूप में दाखिल की जाती है।

|  |
| --- |
| पति |
|  | विवाह के पूर्व | याचिका को दाखिल करने के समय पर |
| स्तर |  |  |
| आयु |  |  |
| निवास स्थान  |  |  |
| पत्नी |
|  | विवाह के पूर्व | याचिका को दाखिल करने के समय पर |
| स्तर |  |  |
| आयु |  |  |
| निवास स्थान  |  |  |

[चाहे एक पक्षकार धर्म से एक हिन्दू हो या न हो उसके या उसकी स्तर का एक भाग है]

1. [इस पैरा में, विशिष्टियां पति एवम् पत्नी तथा विवाह से संतान के सहवास का स्थान यदि "कोई हो तो दिया जा सकेगा। प्रत्येक संतान की जन्म-तारीख तथा नाम और लिंग और यह तथ्य कि चाहे जीवित या मृत हो, का विवरण दिया जाना चाहिए]
2. प्रत्यर्थी विवाह के समय पर नपुंसक था और इन कार्यवाहियों के संस्थित किया जाने तक वैसा होना चालू रहा।

या

प्रत्यर्थी विवाह के समय पर जड़/पागल था।

या

याची/याची का संरक्षक की सहमति बल / कपट के द्वारा प्राप्त की गयी और याचिका बल की प्रवर्तनीयता बन्द हो जाने तथा कपट की खोज कर चुकने के पश्चात् पति एवम् पत्नी के रूप मे रहते थे।

या

प्रत्यर्थी याची से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गर्भवती विवाह के समय पर थी और याची इस तथ्य से अनभिज्ञ विवाह के समय पर था और कार्यवाहियां विवाह की तारीख से एक वर्ष के अन्दर संस्थित की जा चुकी है और याची की सहमति से वैवाहिक संभोग याची से भिन्न कतिपय व्यक्ति द्वारा प्रत्यर्थी की गर्भावस्था का विद्यमान होना याची द्वारा खोज से नहीं हुई है।

[ऊपर आधारों में एक या अधिक पर अभिवचन किया जा सकेगा और उन भागों पर जो लागू नहीं है, को बाहर गिना जाना चाहिए। जिन तथ्यों पर अनुतोष का दावा आधारित बनाया जाता है, उसका पृथक रूप में वैसे वर्णन किया जाना चाहिए जैसे मामले की प्रकृति अनुज्ञा प्रदान करती हो। आरोपित किये गये वैवाहिक अपराधों का उल्लेख उनके अभिकथित कारित किये जाने के समय एवम् स्थान सहित पृथक् पैरों में उल्लिखित किया जाना चाहिए]

1. याचिका प्रत्यर्थी के साथ दुरभिसंधि में नहीं संस्थित की जाती है।
2. इस याचिका दाखिल करने में कोई अनावश्यक या अनुचित विलम्ब नहीं हुई है।
3. इसका कोई अन्य आधार नहीं है कि अनुतोष को क्यों नहीं मंजूर किया जाना चाहिए।
4. किसी पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से विवाह के बारे में कोई भी पूर्व कार्यवाही नहीं हुई है।

या

पक्षकारों द्वारा या उसकी ओर से विवाह के बारे में निम्नलिखित कार्यवाही हुई है-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | पक्षकारों के नाम  | अधिनियम की धारा के साथ कार्यवाही की प्रकृति  | मामले की सं. एवं तारीख तथा वर्ष  | न्यायालय का नाम एवं अवस्थित  | परिणाम  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

1. विवाह का अनुष्ठापन किया गया। पक्षकारगण इस न्यायालय की साधारण आरम्भिक सिविल अधिकारिता की परिसीमाओं के अन्दर ............... में निवास करते हैं। पक्षकारगण अंतिम तौर पर निवास करते थे।
2. अतएव, याची यह प्रार्थना करती है कि शून्यकरणीय होने वाले पक्षकारों के बीच विवाह की अकृतता के द्वारा न्यायालय बातिल किया जा सकेगा।

याची

सत्यापन

ऊपर नामित किया गया याची इस सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर करता है कि याची के पैरा ................. लगायत .............. याची की सर्वोत्तम सूचना एवम् विश्वास में सत्य है।

................ में इस तारीख .............. को सत्यापित किया गया।

स्थान: याची